कार्यालय, प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह,
रंगबाडी रोड, सेक्टर–ए, रंगबाडी, कोटा–324005
दूरभाश न0 0744-2470674 || ईमेल : principalmck@gmail.com || वेबसाइट : ://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota

क्रमांकः प03(2)/एकेड–2/जू0रे0/2022/ दिनांकः .02.2022

कार्यालय–आदेश

राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर के पत्र कमांक प.7(54)(252)(02)डीएमई/एकेड/2021–पार्ट जयपुर, दिनांक 30.11.21 द्वारा इस संस्थान हेतु दिनांक 28.02.2022 तक अथवा पी.जी. काउन्सलिंग–2021 पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये **112** जूनियर रेजीडेन्ट के अस्थाई पदों का सृजन किया गया है जिसकी पालना में संस्थान द्वारा दिनांक 02.12.2021 से साक्षात्कार का आयोजन करते हुए विभिन्न कार्यालय–आदेशों द्वारा जूनियर रेजीडेन्ट के चयनादेश जारी किये गये थे। उक्तानुसार स्वीकृत अस्थाई पदों के मानदेय हेतु एस0एम0एस0 मेडीकल कॉलेज, जयपुर में उक्तानुसार स्वीकृत अस्थाई जूनियर रेजीडेन्ट के पदों हेतु प्रसारित किये गये विज्ञापन में उल्लेखित मानदेय राशि एवं तदानुसार उनको प्राप्त हो रहे मानदेय भुगतान के अनुरुप इस संस्थान हेतु चयनित जूनियर रेजीडेन्ट को मासिक मानदेय के रुप में रु0 55,200/– तथा महंगाई भत्ता (राज्य सरकार के नियमानुसार) संलग्न एफिडेविट प्रस्तुत करने पर प्रदत्त करने पर उक्तानुसार भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः प03(2)/एकेड–2/जू0रे0/2022/ 114 दिनांकः 19.02.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उक्त अस्थाई जूनियर रेजीडेन्ट चिकित्सकों को संस्थान की लेखा शाखा द्वारा लोकम रेजीडेन्ट के अनुरुप रु0 19000/– तथा महंगाई भत्ता (राज्य सरकार के नियमानुसार) मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा था।
2. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, गोविन्द मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, गोविन्द मार्ग, जयपुर को इस संस्थान के पत्र कमांक 908 दिनांक 01.12.2021 तथा 97 दिनांक 09.02.2022 के कम में प्रेषित है।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इस संस्थान के पत्र कमांक 908 दिनांक 01.12.2021 तथा 97 दिनांक 09.02.2022 के कम में प्रेषित है।
5. अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, गोविन्द मार्ग,जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, राजकीय मेडीकल कॉलेज, कोटा।
8. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, राजकीय मेडीकल कॉलेज, कोटा।
9. प्रभारी अधिकारी, सम्पर्क पोर्टल, राजकीय मेडीकल कॉलेज, कोटा।
10. बिल शाखा, स्टाईपेण्ड, राजकीय मेडीकल कॉलेज, कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

कार्यालय, प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह,
रंगबाडी रोड, सेक्टर–ए, रंगबाडी, कोटा–324005
दूरभाश न0 0744-2470674 || ईमेल : principalmck@gmail.com || वेबसाइट :
://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota

शपथ–पत्र

(राशि रु0 50/– के नोन जूडिशल स्टाम्प पर)

मैं कि .... आत्मज श्री..,
निवासी...
यह शपथ लेता हूं कि:–

1. यह कि मुझे जूनियर रेजीडेन्ट के साक्षात्कार एवं चयनादेश के समय ही यह स्पष्ट बता दिया गया था कि राज्य सरकार से अस्थाई जूनियर रेजीडेन्ट के मानदेय के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश अप्राप्त हैं। ऐसे में मुझे वर्तमान में लोकम रेजीडेन्ट को दिये जा रहे मासिक मानदेय के अनुरुप ही राशि रु0 19000/– तथा उस पर देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा आदेश कमांक एकेड/2022/114 दिनांक 19.02.2022 द्वारा अस्थाई जूनियर रेजीडेन्ट का मासिक मानदेय प्रथम वर्ष नियमित जूनियर रेजीडेन्ट के अनुरुप करते हुए राशि रु0 55000/– तथा उस पर देय महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
2. यह कि भविष्य में राज्य सरकार से इस विषयान्तर्गत कोई निर्देश प्राप्त होते हैं जिसमें मासिक मानदेय के रुप में दी जाने वाली राशि से कम राशि स्वीकृत होती है तो मुझे प्राप्त हुई अधिक राशि को संस्थान/राज्य सरकार को वापिस कर दूंगा।
3. यह कि मैं सहमति देता/देती हूं कि यदि मैं उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता हूं तो संस्था प्रधान द्वारा राज्य की मेडीकल रेगुलेटरी संस्था राजस्थान मेडीकल काउन्सिल, जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में होने वाले किसी भी परिणामों के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होउंगा/होउंगी।

नाम शपथकर्ता